Dr. Mukesh Chand
UNESCO FELLOW
Coordinator Rover Ranjer
Maa Shakumbhari University
Punwarka, Saharanpur-247120,U.P.

Professor, Chemistry department
Incharge Industrial Chemistry
D.A.V. College, Arya Samaj Road
Muzaffarnagar-2510001 U.P.
e-mail-drmukeshtyagi@yahoo.com

पत्रांकः रो०रें/एम.एस.यू./27/2024-25 दिनांकः 12.7.2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय
सम्बद्ध माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

महोदय,

आपको पूर्व में भी विश्वविद्यालय द्वारा रोवर्स–रेंजर्स गतिविधियों एवं शुल्क के सन्दर्भ में अवगत कराया गया है इसी क्रम में आपको कुलसचिव महोदय माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के निर्देश के अनुपालन में पुनः अवगत कराना है कि कृप्या प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड उ.प्र. के पत्रांक संख्या CG/105ध्268/2025–26 दिनॉक 06 मई 2024 का क्रियान्वयन सक्रिय रूप से विधिवत अपने महाविद्यालय में कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्त पत्र।

भवदीय

(प्रो. मुकेश चंद)
समन्वयक रोवर–रेंजर
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर

प्रतिलिपिः

1. निजि सचिव, माननीय कुलपति महोदय, माँ शाकुम्भवरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, माँ शाकुम्भवरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रो. मुकेश चंद)
समन्वयक रोवर–रेंजर
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर

फोन : 0522-4323838
9839392275

भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ - 226006
E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org
रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 1-0407/1959-1960

मुख्य संरक्षक
माननीय श्री राज्यपाल
उ० प्र०

उप मुख्य संरक्षक
माननीय मुख्यमंत्री
उ० प्र०

अध्यक्ष
डा० महेन्द्र सिंह
पूर्व मंत्री - जल शक्ति
उ० प्र०

मुख्यायुक्त
डा० प्रभात कुमार
पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या – सी0जी0-105/ ......268....../2024-25 दिनांक 06...मई...2024

सेवा में,

कुलपति
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय
जनपद–सहारनपुर।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यकम को सफलतापूर्वक कियान्वित करने के दृष्टिकोण से आपके विश्वविद्यालय को भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 प्रादेशिक संस्था द्वारा स्काउटिंग/गाइडिंग के क्षेत्र में "जनपद" के रूप में अंगीकृत किया गया है।

2– कार्यकम को सफलतार्पूवक संचालित करने के लिए निम्नांकित पत्र भी समय–समय पर निर्गत किए गए है :–

(1) अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या सी0जी0–105/1143/2021–22 दिनांक 06 जनवरी, 2022 (छाया प्रति संलग्न)

(2) शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा डिग्री विकास विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/135023/2021–22 दिनांक 15.12.2021 (छाया प्रति संलग्न)

अतः इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी संस्थानों /महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर से संबंधित गतिविधियाँ तत्काल प्रारम्भ कर दी जाय। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 17–25 वर्ष के छात्रों को रोवर तथा छात्राओं का रेजर कहा गया है।

उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि कृपया निम्नवत कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(1) यदि जिला संस्था में अभी नियमानुसार कार्यकारिणी तथा अन्य पदों पर नियुक्तियॉ नहीं की गयी है तो कृपया नियुक्तियॉ प्रत्येक दशा में दिनांक 30.5.2024 तक करते हुए उनके पक्ष में वारेंट (अधिकार पत्र) जारी करने हेतु नामों की पदवार सूची संस्तुति सहित प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित कर दी जायें। उल्लेखनीय है कि रू0 50/– प्रति छात्र स्काउट, गाइड शुल्क लेने के आदेश आपके द्वारा पूर्व में ही निर्गत कर दिए गए है।

(2) आशा है कि महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर एक पृथक रोवर/रेंजर कोष स्थापित करते हुए उसका एक खाता पृथक से बैंक में खुलवा दिया गया होगा। यदि नहीं खुलवाया गया है तो कृपया तत्काल यह कार्यवाही करा ली जाय ताकि छात्रों से आने वाले शुल्क का निर्धारित अनुपात में महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के खाते में संग्रह कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क रू0 50.00 प्रतिवर्ष प्रति छात्र को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा भारत स्काउट और गाइड,

...2

उ0प्र0 प्रादेशिक संस्था हेतु 50 : 20 : 30 के अनुपात में शेयर करना है अर्थात–

1– महाविद्यालय स्तर पर 50 प्रतिशत
2– विश्वविद्यालय स्तर पर 20 प्रतिशत
3– प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ हेतु 30 प्रतिशत

प्रादेशिक संस्था का अंश विश्वविद्यालय महाविद्यालयो से मंगवाकर सीधे प्रादेशिक संस्था को निम्न खाते में हस्तांतरित करेंगे :–

खातेदार का नाम	– प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0भारत स्काउट और गाइड
खाता संख्या	– 10122401342
बैंक का नाम	– भारतीय स्टेट बैंक
शाखा का नाम	– जवाहर भावन, लखनऊ
IFSC CODE	– **SBIN0006144**

(3) महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर संग्रहीत धनराशि का व्यय निम्नांकित मदो में किया जा सकता है जिसका निर्धारिण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा :–

1– जिला संस्था में विभिन्न पदो पर दिए जाने वाला मानदेय, यदि आवश्यक हो।
2– रोवर/रेंजर की विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशिक्षण पर व्यय।
3– रोवर/रेंजर में साहित्य, प्रशिक्षण सामाग्री तथा पत्रिका इत्यादि पर व्यय।
4– परिषद, एंव कार्यकारिणी तथा अन्य संबंधित बैठकों के आयोजन पर व्यय।
5– रोवर लीडर / रेंजर लीडर प्राध्यापकों के प्रशिक्षण पर व्यय।
6– प्रदेश स्तर तथा राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने पर व्यय।
7– विभिन्न रोवर/रेंजर हेतु आयोजित शिविरो में प्रतिभागिता पर व्यय।
8– रोवर/रेजर से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर व्यय।
9– विश्वविद्यालय जिला संस्था द्वारा पुरस्कार इत्यादि दिए जाने पर व्यय।
10–विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोवर/रेंजर समागम के आयोजन पर व्यय।
11–अन्य व्यय जिनको करने से रोवर/रेंजर की गतिविधियॉं बढाने मे सहायता मिलें, जिसका निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर किया जा सकता है।

(4) प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान में 5 यूनिट रोवर तथा 5 यूनिट रेंजर का गठन एंव पंजीकरण तथा जो यूनिट पहले से गठित है उनका नवीनीकरण कराना।

(5) उल्लेखनीय है कि एक यूनिट में 24 रोवर/24 रेंजर पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 780.00 प्रति यूनिट निर्धारित है, जिसमें से रू0 629.00 प्रादेशिक मुख्यालय को , रू0 151.00 विश्वविद्यालय को देय होगा। इसी प्रकार नवीनीकरण शुल्क कुल रू0 730.00 लिया जायेगा जिसमें से प्रादेशिक मुख्यालय को रू0604.00 एंव विश्वविद्यालय को रू0 126.00 देय होगा। रोवर/रेंजर पंजीकरण एंव नवीनीकरण की तालिका निम्नवत हे :– रोवर/रेंजर (24 सदस्यीय)

<u>पंजीकरण शुल्क(प्रथम वार)</u>

कम सं0	(क) पंजीकरण शुल्क (प्रथम वार)	कुल योग (रूपयो में)	प्रदेश अंश (रूपयो मे)	विश्वविद्यालय जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट पंजीकरण शुल्क	50.00	25.00	25.00
2	रोवर/रेजर पंजीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 25/–प्रति सदस्य की दर से)	600.00	504.00 रू0 21/– प्रति की दर से	96.00 रू0 04/– प्रति की दर से
3	यूनिट लीडर पंजीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	780.00	629.000	151.00

नवीनीकरण शुल्क(प्रत्येक वर्ष)

क्र0 सं0	(क) नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)	कुल योग (रूपयो में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	विश्वविद्यालय जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट नवीनीकरण शुल्क	**NIL**	**NIL**	**NIL**
2	रोवर/रेंजर नवीनीकरण शुल्क (फोटामनी रू0 25/– प्रति सदस्य की दर से)	600.00	504.00 रू0 21/–प्रति की दर से	96.00 रू0 04/– प्रति की दर से
3	यूनिट लीडर नवीनीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	730.00	604.00	126..00

(6) दलों का पंजीकरण प्रत्येक दशा में 31 अगस्त 24 तक करा लिए जायें ताकि इसके बाद यूनिट के रोवर/रेंजर का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा सकें।

(7) प्रथम चरण में प्रत्येक महाविद्यालय से एक प्राध्यापक चिन्हित कर लिया जाय, जो महाविद्यालय में रोवर/रेंजर का कोआर्डिनेटर होगा । महाविद्यालयवार चिन्हित किए गए प्राध्यापकों की सूची 15 जून, 2024 तक प्रादेशिक मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाय ताकि ग्रीष्मकाल में उनका प्रशिक्षण कराया जा सकें।

(8) विश्वविद्यालय स्तर पर एक जनपद एक गतिविधि(**One District One Activity**) के अंतर्गत ऐसी एक गतिविधि का चयन कर लिया जाय, जिसमें विश्वविद्यालय के रोवर रेंजर कार्य करने में रूचि लेते हो। ये गतिविधि – पर्यावरण, वनीकरण, जल संरक्षण, सामाजिक समस्याओं तथा शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय समस्याओं के निराकरण से संबंधित गतिविधियों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जा सकता है।

(9) जिन दलों का गठन किया जाय उनके यूनिट लीडर तथा सदस्यों का पंजीकरण ओ0वाई0एम0एस0(**Online Youth Membership System**) पोंटल पर भी कराया जाय। इसके लिए महाविद्यालय स्तर पर एक आई0टी0 सहायक को उत्तरदायी बनाया जाय।

3– उपरोक्त कार्यक्रमों से संबंधित कुछ साहित्य, ए0पी0आर0ओ0 भाग 2 व 3 की 1–1 प्रति, रोवर/रेंजर व दल पंजीकरण, नवीनीकरण फार्म की एक एक प्रति आपके उपयोगार्थ आपकी सेवा में भेजी जा रही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

प्रतिलिपि :–

1–प्रमुख सचिव, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 शासन, लखनऊ की सेवा में इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी उक्त के संबंध में समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

2–शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा डिग्री विकास विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से भी उक्त के संबंध में समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

3–प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण कमिश्नर(स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।

4–समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड) को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त